

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक-

सं०सं०-17/ए 3-01/2019 - 470 (17)

/स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा

बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्त एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में सीनियर रेजिडेंट के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के सर्जरी विभाग में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :-

सर्जरी विभाग बि० स्वा० से०					
क्र०	नाम	आवेदन संख्या	श्रेणी	रोस्टर बिन्दु श्रेणी	नव पदस्थापन महाविद्यालय एवं अस्पताल
1	डॉ० राकेश कुमार	CR201800015	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
2	डॉ० मृत्युंजय कुमार	CR201800209	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा
पी०जी०एस०					
1	डॉ० मनीष कुमार सिंह	CR201800057	अनारक्षित	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
2	डॉ० शशि प्रकाश	CR201800640	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
3	डॉ० कौशलेंद्र कुमार	CR201800712	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
4	डॉ० शकील जावेद	CR201800832	अनारक्षित	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।
5	डॉ० कुमार चन्द्र कान्त	CR201800394	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
6	डॉ० विक्रम झा	CR201801085	अनारक्षित	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।
7	डॉ० प्रभात कुमार प्रियदर्शी	CR201800501	अनारक्षित	अनारक्षित	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
8	डॉ० मो० अशरफ अली	CR201800886	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा।
9	डॉ० तौसिफ किबरिया	CR201800809	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भागलपुर।

17/11/19

पी0जी0ओ0					
1	डॉ0 सूर्य प्रकाश	CR201800502	अनारक्षित	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।
2	डॉ0 सचिन कुमार सिंह	CR201800991	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
3	डॉ0 विश्व प्रकाश झा	CR201800868	अनारक्षित	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।
4	डॉ0 आदित्य वीर विक्रम	CR201800672	अनारक्षित	अनारक्षित	जननायक कपूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा।
5	डॉ0 रवि कुमार झा	CR201800493	अनारक्षित	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।
6	डॉ0 अबु नोमान	CR201800992	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।
7	डॉ0 नवनीत कुमार	CR201800534	अनारक्षित	अनारक्षित	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।
8	डॉ0 राकेश कुमार	CR201800960	पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया।

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्चोर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेंगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवल-9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

5. टेन्चोर अवधि के समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्चोर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्चोर पद अथवा किसी अन्य पद पर लागतार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नव नियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अधिकतम 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रीमिलेयर प्रमाण-पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण-पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये सीनियर रेजिडेंट के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक सबसे पुराने पदस्थापित सीनियर रेजिडेंट को आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त

*Handwritten signature*

कर देंगे। यदि किसी पुराने सीनियर रेजिडेन्ट के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 17/ए 3-01/2019 - 470 (177) /स्वा० पटना, दिनांक :- 27/6/19

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त पटना प्रमंडल/मगध प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/मुंगेर प्रमण्डल/कोशी प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :- सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव (कौशल किशोर) के आप्त सचिव/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-17/प्रशाखा पदाधिकारी-01,02,08,09 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

  
27/6/19